

के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 12/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी, सारणी के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, अर्थात् :-

“सारणी

क्रम संख्या (1)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त (2)	नाम पद्धति संहिता के सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के अंको की संख्या (एच एस एन कोड) (3)
1.	पांच करोड़ रुपए तक	4
2.	पांच करोड़ रुपए से अधिक	6

बशर्ते कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका सकल आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए तक है, उक्त नियमों के अधीन उसके द्वारा जारी किसी (अरिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों की आपूर्ति के) कर बीजक में उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट एचएसएन कोड के अंकों की संख्या का उल्लेख करने के लिए बाध्य नहीं है।”

[फा. सं. सी बी ई सी-20/06/09/2019-जी एस टी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक 12/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. संख्यांक 660 (अ) तारीख, 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2020

No. 78/2020 – Central Tax

G.S.R. 638(E).— In exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 46 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Board of Indirect Taxes and Customs, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017 – Central Tax, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 660(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, with effect from the 01st day of April, 2021, for the Table, the following shall be substituted, namely, -

“TABLE

Serial Number (1)	Aggregate Turnover in the preceding Financial Year (2)	Number of Digits of Harmonised System of Nomenclature Code (HSN Code) (3)
1.	Up to rupees five crores	4
2.	more than rupees five crores	6

Provided that a registered person having aggregate turnover up to five crores rupees in the previous financial year may not mention the number of digits of HSN Code, as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table in a tax invoice issued by him under the said rules in respect of supplies made to unregistered persons.”.

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification number 12/2017 – Central Tax, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 660(E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2020

सं. 79/2020- केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 639(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु बोर्ड, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेगा :--

(i) माल या सेवाओं के लिए नामपद्धति कोड की सुमेलित प्रणाली के अंकों की संख्या, जिसकी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा उल्लेख किया जाना आवश्यक है; या

(ii) माल या सेवाओं के प्रदाय का कोई ऐसा वर्ग, जिसके लिए नामपद्धति कोड की सुमेलित प्रणाली के अंकों की विनिर्दिष्ट संख्या का सभी रजिस्ट्रीकृत करदाताओं द्वारा उल्लेख किया जाना आवश्यक है; और

(iii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग, जिससे माल या सेवाओं के लिए नामपद्धति कोड की सुमेलित प्रणाली का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा :”।

3. उक्त नियमों के नियम 67क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“67क. अल्प संदेशकारी सेवा सुविधा द्वारा विवरणी या जावक प्रदायों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने की रीति—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, जिससे कर अवधि के लिए, धारा 39 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-3ख में शून्य विवरणी, या धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के शून्य ब्यौरे या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8 में शून्य विवरण प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है, इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करने के प्रति किसी निर्देश में रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या का प्रयोग करने वाली अल्प संदेशकारी सेवा के माध्यम से जावक प्रदायों की उक्त विवरणी या ब्यौरे या विवरण प्रस्तुत करना सम्मिलित होगा और जावक प्रदायों की उक्त विवरणी का किसी रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या आधारित वन टाइम पासवर्ड सुविधा द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन के लिए, जावक प्रदायों की शून्य विवरणी या उनके शून्य ब्यौरे या शून्य विवरण से किसी कर अवधि के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी या धारा 37 के जावक प्रदायों के ब्यौरे या नियम 62 के अधीन विवरण अभिप्रेत होगा, जिसमें, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर-3ख या प्ररूप जीएसटीआर-1 या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8 की सभी सारणियों में कुछ नहीं है या कोई प्रविष्टि नहीं है।”।